विषय—COVID-19 से सम्बन्धित जोखिम वाले Housing Personnel के लिए क्वांटी हॅंडल की स्थापना के संबंध में

कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव, रोकथाम एवं संक्रमण की शुरुआत को तोड़ने के लिए इससे प्रभावित संदिग्ध लोगों के लिए क्वांटी हॅंडल की स्थापना का निर्धारण लिया गया है एवं पूर्व में पत्र दिनांक 18.03.2020 एवं 22.03.2020 द्वारा इस हेतु सभी जिलों में लगभग 2000-7000 व्यक्तियों के लिए क्वांटी सुविधा की व्यवस्था हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये जा चुके हैं। ऐसी सुविधाओं की स्थापना हेतु निर्मलता निर्देशों को पूरा किया जाना है—

- यह क्वांटी सुविधा, शहर के रिहायशी क्षेत्रों से यथा समान दूर स्थित होना चाहिए।
- सिक्कोटी तथा शोल्लोटी के द्वारा इस सुविधा की निगरानी की व्यवस्था होनी चाहिए।
- ऐसे क्वांटी सेंटरों में प्राथमिकता के साथ व्यक्तिगत कमरों की व्यवस्था हो और अलग-अलग शौचालयों की व्यवस्था होनी चाहिए।
- सेंटर के स्थापना की योजना के समय प्रशासनिक युनिट, कदिमिकल परिक्रम/सेडिकल स्टेशन, खान-पान सुविधा, लॉन्ड्री सेवा, आवश्यकता के अनुसार अप्सरा प्रबंधन के लिए स्थान होना चाहिए। बेडहोटल को नियंत्रित रूप से बदलने की व्यवस्था होनी चाहिए।
- क्वांटी सेंटर को नियंत्रित रूप से सोडियम हाइड्रोक्लोराइड सोल्युशन (1 प्रतिशत) द्वारा असंक्रमित किया जायेगा।
- क्वांटी सेंटर के कार्यक्रम को COVID-19 संक्रमण रोकथाम तथा नियंत्रण गतिविधियों जिसमें पीपीई किट, मास्क, दस्ताने आदि के विषय पर आमुक्तीकरण किया जाना चाहिए।
- क्वांटी सेंटरों के प्रबंधन की वित्तीय आवश्यकता के लिए, जिला कलक्टर, राज्य आपदा राहत कोष (SDRF) के तहत व्यवस्था करेंगे।

Institutional Quarantine की समायाच्छि—

किसी भी संदिग्ध केंद्र की क्वांटी की समायाच्छि 14 दिन की है। क्वांटी सेंटरों में रखे गये ऐसे व्यक्तियों का 13वें दिन COVID-19 की जांच हेतु नमूना लिया जायेगा। यदि लेव नियंत्रण में जांच रिपोर्ट Negative आती है तो उन्हें 14 दिन का समय पूरा होने पर डीस्टार्ज कर दिया।
जानें। लेख परीक्षण जांच रिपोर्ट Positive आपने पर ऐसे कोविड रोगी को क्लीनिकल आंकलन के आधार पर चिकित्सकीय सुविधा प्रदान की जायेगी।

उपरोक्त निर्देशानुसार अपने जिले में क्वार्टीन सेंटरों की स्थापना एवं संचालन सुनिश्चित करें। आपके संदर्भ के लिए क्वार्टीन सेंटर की स्थापना हेतु एक चेकलिस्ट इस पत्र के साथ संलग्न है।

(शोहित युवार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग

पत्रक -

दिनाकर

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है—

1. निजी सचिव, मा. स्वास्थ्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चि. स्वा. एवं प.क. विभाग, राज0 जयपुर
3. निजी सचिव, सचिव, चिकित्सा शिखर, शासन सचिवालय, राज0 जयपुर
4. निजी सचिव, मिशन निदेशक, राजस्थान स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य भवन, राज0 जयपुर
5. निजी सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान भवन, राज0 जयपुर
6. निजी सहायक, निदेशक, (जन. स्वा.) चि. एवं स्वा. सेवायें, राज0 जयपुर
7. अति. निदेशक (प्रा. स्वा.) चि. एवं स्वा. सेवायें, राज0 जयपुर
8. समस्त अधिकारी के संस्थान, जोन, राजस्थान
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी., राजस्थान
10. राज्य नॉडल अधिकारी, (आई.डी.एस.पी) चि. एवं स्वा., सेवायें, राज0 जयपुर
11. कार्यालय प्रति

(निदेशक जन. स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

निदेशक (जन. स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग